ग्राम पंचायत ठेहड़, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176211 के अवधि 01 / 04 / 2024 से 31 / 03 / 2025 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ठेहड़, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01 / 04 / 2024 से 31 / 03 / 2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती इन्दु वाला	01.04.2024 से 31.03.2025

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री सुरिंदर सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती कमलेश कुमारी	01.04.2024 से 31.03.2025

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री गुरविंदर सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत ठेहड़ के अवधि 01 / 04 / 2024 से 31 / 03 / 2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर का समाधान न करना	15.87
2	4.2	स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा समेकित/संयुक्त (Consolidated) रोकड़ बही के अथशेषों में अंतर	0.38
3	4.3	निर्धारित सीमा से अधिक राशि नकद हस्तगत रखना	0.55
4	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	38.83
5	7	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.83
6	8	विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.02
7	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.66
8	9.2	खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	10.98
9	9.3	स्त्रोत पर जी०एस०टी/टी०डी०एस०की कटौती न करने से सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि	0.30
10	9.4	अनुमोदित/न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से भुगतान करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान	0.51
11	9.7	पंचायत सदस्य को दोहरा भुगतान	0.01
12	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे	16.96

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/260 दिनांक–22.04.2025 द्वारा अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करते हुये केवल 4 पैरों की अनुपालना का सत्यापन करवाया गया तथा शेष बचे पैरों के निस्तारण हेतु किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। यह अति गम्भीर चूक है, जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करती है। अतः प्राथमिकता के आधार पर गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों

के साथ–साथ वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित अंकेक्षण आपतियों पर भी अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरो की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक

क्र0 सं0	पैरा सं.	निर्णीत/ अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की सत्यापना तथा मुख्यालय से पुष्टि करने उपरांत
2.	4,4.1	निर्णीत	वित्तीय स्थिति व बैंक समाधान विवरणी में शून्य अंतर के दृष्टिगत
3.	5, 5.1	अनिर्णीत	—
4.	5.2	अनिर्णीत	—
5.	6	अनिर्णीत	—
6.	7	अनिर्णीत	—
7.	8	अनिर्णीत	—
8.	9	अनिर्णीत	—
9.	10	अनिर्णीत	—
10.	11	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
11.	12	अनिर्णीत	—
12.	13	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित
13	14	अनिर्णीत	—

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:–

ग्राम पंचायत ठेहड़ के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.06.2025 से 04.07.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया:–

वर्ष	आय	व्यय
2024—25	08/2024	05/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्कः—**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या— राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2025/417(7) दिनांक—04.07.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2025/410(1) दिनांकः—28.06.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	1222564.48	1009338.00	2231902.48	1374691.00	857211.48

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2024-25	4113389.75	4155118	8268507.75	4385737	3882770.75

कुल योग (1+2) 857211.48+3882770.75=**4739982.23**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹47,39,982.23 तथा प्रस्तुत बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹31,52,941.60 से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वयं सत्रोत / पांचवा वित्/ वी.के.वी.एन.वाई/ एस .डी.आर.एफ/एम.पी.लेड/ आर.जी.एस.ए/एस.डी.पी/पी. एस/जेड.पी	के. सी .सी. बैंक सदवां	20069021499	949672.46
2	टीएससी/एसबीएम	एच.डी.एफ.सी. बैंक जस्सुर	50100663793471	1362
3	वाटर शेड नंबर 17	एच.जी बैंक सुल्याली	87980100045990	27539
4	ग्राम कोष	एच.जी बैंक सुल्याली	87980400046978	451054
5	14वां वितायोग	के. सी .सी. बैंक सदवा	50054974387	9000.14
6	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	आई.सी.आई.सी. .आई बैंक जस्सुर	374401000219	1659777
7	दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को हस्त गत शेष (स्वः स्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			33490
8	दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को हस्त गत शेष (14वां वितायोग की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			21047
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 को कुल योगः–				₹3152941.60
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–				₹4739982.23
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेषः–				₹3152941.60
अन्तरः–				1587040.63

नोटः–अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4 **(ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातो के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹15.87 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत ठेहड़ द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में

बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाईन रोकड बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹15,87,040.63 का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 412(1) दिनांकः–30.06.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा आंकडो एवं तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि, रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति व बैंक के अंत शेषो में उपरोक्त राशि का अंतर रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति में अधिक पाया गया, जिसकी बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः–

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक–15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान / निर्देश है।

सचिव ग्राम पंचायत ठेहड़ द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "3"** व बैंक खातो के अंकेक्षण में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे, बल्कि स्वः स्रोत, पांचवा वित्त, वी.के.वी.एन.वाई,एस.डी.आर.एफ,एम.पी.लेड,एस.डी.पी,आर.जी.एस.ए व पी.एस/जेड.पी लिये संयुक्त खाता संख्या 20069021499 खोला गया था, जो कि पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता एवं नियमों / निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपतिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 412(4) दिनांकः–30.06.2025 द्वारा आग्रह

किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, शीर्ष वाईज खातों का अनुसंधारण कर लिया जायेगा।

अतः आज दिन तक नियमानुसार स्कीम वाईज खातो का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार ही बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2024–25 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरो से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं0,मस्ट्रोल सं0/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	15वां वित	4,5,6/01.05. 2024	75,78/20.04. 2024,मस्ट्रोल–निल/ 27828	रख रखाव रास्ता/नाली अमर, प्रीतम,हुकम इत्यादि वार्ड 7	109516
2	15वां वित	7/01.05. 2024	मस्ट्रोल–निल / 021661	निर्माण रास्ता प्रताप सिंह खोला ढलियाल वार्ड 6	9876
3	15वां वित	11/01.05. 2024	नरेगा अनुदान से प्राप्त सीमेंट	निर्माण बाबडी ठेहड़ वार्ड 5	17094
4	15वां वित	12/01.05. 2024	नरेगा अनुदान से प्राप्त सीमेंट	मुरम्मत बाबडी ठेहड़ वार्ड 5	12617
5	15वां वित	09/01.05. 2024	0652879/ 11.09.2024	निर्माण सामुदायिक शौचालय पंचायत घर वार्ड 5	21164
6	15वां वित	10/01.05. 2024	0652879/ 11.09.2024	निर्माण शौचालय रेम्प के साथ सीएससी ठेहड़ वार्ड 4	21571
7	वीकेवी एनवाई	02/04.05. 2024	0643308/ 27.08.2024	निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक संजीव कुमार इत्यादि घर वार्ड 6	19552

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानो से प्राप्त की गई आय व उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त किये गए संकलित व्यय का भी लेखा खाता/खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों व व्यय की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(8) दिनांकः–04.07.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण अवधि 24–25 की खाता बहियो को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड बहियों तथा समेकित/संयुक्त (Consolidated) रोकड़ बही के अथशेषो में राशि ₹0.38 लाख का अंतर पाया जानाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6(2) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव लेन–देन की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले लेखे तथा विवरणियां सही–सही तथा शीघ्रता से उपलब्ध करवाएगा।

ऑनलाईन रोकड़ बहियों के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **"परिशिष्ट–6"** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा समेकित/संयुक्त (Consolidated) रोकड़ बही के अथशेषो में दिनांक 01.04.2024 को राशि ₹37500/– का अंतर पाया गया। इस प्रकार से ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाईन रोकड़ बहियों का परस्पर मिलान न करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित ही नहीं, बल्कि आपतिजनक भी है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः–राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/412(3) दिनांकः–30.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा सूचित किया गया कि स्कीमवाईज ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा समेकित/संयुक्त रोकड़ बही में उक्त राशि का अंतर पाया गया, जिस बारे अभिलेखों की जांच पडताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस अन्तर का उचित समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य हेतु भी यह सुझाव दिया जाता है कि ऑनलाईन माध्यम से रोकड़ बहियों का रख–रखाव उचित तरीके से किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.3 निर्धारित सीमा से अधिक राशि नकद हस्तगत रखनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/– तक की राशि ही इम्प्रेस्ट रूप में रखी जा सकती है।

सभा निधि व 14वां वितायोग की प्रस्तुत की गई आनलाईन रोकड़ बहियों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा सभी मासो के दौरान निम्नविवरणानुसार प्रावधित सीमा से अधिक नकद राशि को हस्तगत दर्शाया गया था, जो कि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। निर्धारित राशि से अधिक राशि को रोकड़ बही में नकद के रूप में दर्शाना/पाया जाना, इसके दुर्विनियोजन की सम्भावना को परिलक्षित करता है। इसके अतिरिक्त इस राशि को बैंक में जमा न करवाने से इस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी ग्राम पंचायत को वंचित होना पड़ाः–

1.सभा निधिः–

क्र.स.	रो॰ ब॰ पृ॰	दिनाँक	सीमा से अधिक नकद रखी गई राशि (₹)
1	निल	02.04.2024	19403
2	निल	03.05.2024	19403
3	निल	11.06.2024	19603
4	निल	02.07.2024	19603
5	निल	20.08.2024	20274
6	निल	11.09.2024	20003
7	निल	10.10.2024	20003
8	निल	08.11.2024	20003
9	निल	16.12.2024	21475
10	निल	06.01.2025	21675

11	निल	28.02.2025	19340
12	निल	03.03.2025	19340
13	निल	31.03.2025	33490

2.14वां वित–

क्र.स.	रो॰ ब॰ पृ॰	दिनाँक	सीमा से अधिक रखी गई राशि (₹)
1	निल	01.04.2024	21047
2	निल	31.03.2025	21047

नोटः–सभी मासो के दौरान नकद शेष को दर्शाया गया। दिनांक 31.03.2025 को सभा निधि व 14वां वितायोग से कुल नकद शेष ₹54537/-

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/412(5) दिनांकः–01.07.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सभा निधि की आनलाईन रोकड़ बही में निर्धारित सीमा से अधिक नकद शेष को दर्शाया गया, जिसके सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 14व वित की आनलाईन रोकड़ बही में भी निर्धारित सीमा से अधिक नकद शेष को दर्शाया गया, जिस बारे अभिलेखों की जांच पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि, इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹13,53,777.48 से ₹9,49,672.46 तक की राशि शेष

थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(8) दिनांकः 04.07.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 151 दिनांक 04.07.2025 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदान की राशि ₹38.83 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियो को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/410(I) दिनांकः–28.06.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1** व **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹38,82,770.75/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	वी.के.बी.एन.वाई	31.03.2025	38559.00
2	एस.डी.पी	31.03.2025	69000.00
3	एस.बी.एम	31.03.2025	23550.00
4	आई.ए.वाई	31.03.2025	685450.00
5	आई.डबल्यू.डी.पी	31.03.2025	23031.00
6	एन.आर.एच.एम	31.03.2025	10000.00
7	एम.पी.लेड	31.03.2025	211706.00
8	जी.आर.डी.वाई	31.03.2025	25000.00
9	13वाँ वित्त	31.03.2025	648160.00
10	14वाँ वित्त	31.03.2025	93557.75
11	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2025	2054757.00
		कुल जोड	**3882770.75**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/412(2) दिनांक–30.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष/व्यय न की अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

पंचायत राजस्व से प्राप्त आय

7 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.83/– लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणो के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/410(1) दिनांकः–28.06.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹83050/–** की राशि दिनांक 31.03.2025 को वसूली हेतु शेष थी। सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में बिना पर्याप्त कारणों के इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/412(6) दिनांकः–01.07.2025 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरांत सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त बढ़ते बकाया पंचायत राजस्व का मामला पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक जॉच उपरान्त यथास्थिति नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

8 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.02/—लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या—SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांकः—04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070—60—108—01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2025/410(1) दिनांकः—28.06.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना अनुसार ग्राम पंचायत ठेहड़ द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान राशि ₹2200/— विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई,परन्तु प्राप्ति उपरांत इस राशि में से राशि ₹1800 को सभा निधि में जमा करवाया गया तथा शेष 400 को बैंक/सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया, जिससे कि सरकारी कोष को प्राप्त आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/412(7) दिनांकः—01.07.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत ठेहड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—151 दिनांकः—04.07.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यों की पुष्टि करने उपरांत सूचित किया गया कि ,प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण की राशि ₹1800 को सभा निधि में जमा करवाया गया। राशि ₹400 की वसूली करके व राशि ₹1800 सहित सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाई जानी

सुनिश्चित की जाए तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भी विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति उपरांत सरकारी कोष में ही जमा करवाया जाये व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.66 लाख के स्टॉक का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत ठेहड़ के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "9"** के अनुसार ₹65667/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

इस अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2025/417(I) दिनांकः–04.07.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामग्री क्रय की जाएगी। प्रस्तुत उतर अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 के **पैरा संख्या 9** मे दर्ज अंकेक्षणापति के दृष्टिगत, तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अंकेक्षणावधि में इस प्रकार कृत समस्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। बारम्बार दोहराई जाने वाली इस अनियमितता का प्रकरण पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

9.2 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹10.98/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारे:–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक–02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हे भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2024 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण व पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट "8"** पर संलग्न सूचना के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की वैध स्त्रोत से आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹1097533/– का अनियमित भुगतान किया गया तथा पूर्वोक्त नियम ,प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(2) दिनांकः–04.07.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– 151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा आंकड़ो व तथ्यों की पुष्टि करने उपरांत सूचित किया गया कि उक्त राशि की क्रय की गई निर्माण सामग्री वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" व "W" प्राप्त किये बिना ही की गई व उक्त व्यय अनभिज्ञता में किया गया है, वर्तमान समय से उक्त फॉर्म प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है ,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उपरोक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन निर्माण सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा ऐसे सभी प्रकरणों को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 स्त्रोत पर जी.एस.टी/टी.डी.एस. की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण राशि ₹0.30/- लाख के सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग पत्र संख्या 12-4/78-EXN-TAX-पार्ट–(278/25)-29056,दिनाक 29-09-18 के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग /स्थानीय निकाय/सरकारी एजेंसी/बोर्ड और अन्य निकाय द्वारा संविदाकार/फर्म/आपूर्तिकर्ता को दिनांक 01-10-18 से गुड्स व सेवाओं और दोनों की आपूर्ति हेतु सिंगल अनुबंध के तहत व अन्तर्राज्यीय सप्लाई के लिये ₹2.5 लाख से अधिक की अदायगियों से @2%(1%SGST+1%CGST) की दर से GST/TDS काटने एवं उसे अगले माह की 10 तारीख तक सरकारी कोष में जमा करवाने का प्रावधान है।

नमूना अंकेक्षण व ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत "**परिशिष्ट -7** "अनुसार पाया गया कि 15 वा वित्त व नरेगा शीर्षो के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये निम्नविवरणानुसार राशि की निर्माण सामग्री की प्राप्ति की गई थी, किन्तु उक्त नियम प्रावधानों के दृष्टिगत आपूर्तिकर्ताओं से स्त्रोत पर कर राशि **₹30213/-** की कटौती (जीएसटी/टीडीएस) नहीं की गई थी:-

क्रम स०	**वौ०/दिनांक**	**कॉन्ट्रैक्टर/फर्म का नाम**	**परिशिष्ट के अनुसार भुगतान की गई राशि (₹)**	**स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) की राशि (₹)**
1.	**परिशिष्ट "7"** अनुसार (क्रम संख्या 1 से20)	मैसर्ज परशोतम सिंह खुबाडा नूरपुर	1510649.58 or say 1510650	30213

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(4) दिनांकः–04.07.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत ठेहड़ को तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की निर्माण सामग्री क्रय की गई, जिस पर जीएसटी/टी.डी.एस की निर्धारित राशि की कटौती नहीं की गई है, अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः नियमानुसार जी.एस.टी / टी.डी.एस की कटौती न करने का पूर्ण औंचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा इस अनियमितता को उपरोक्त नियमानुसार ,समर्थित अभिलेखो सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से कर सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा यह भी सुझाव दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि हेतु ऐसे अन्य मामलों की संस्था स्तर पर जांच कर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.4 अनुमोदित / न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से भुगतान के फलस्वरूप ₹0.51 / – लाख का संदिग्ध / गलत भुगतान करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल / वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा अनुदान के अंतर्गत निर्माण कार्यों को करवाने हेतु निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित / न्यूनतम निविदा दर से न करके, अधिक दर द्वारा करने से निम्नविवरणानुसार राशि ₹51155 / – का संदिग्ध / गलत भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता के साथ–साथ आपतिजनक भी है:–

अनुदान	वाउचर स0 / दिनांक / बिल स0	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अनुमादित / अपेक्षित दर से भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.मनरेगा	01 / 13.05. 2024 / 14	मै परषोतम सिंह खुबाडा नूरपुर	Shuttering(sq2ft)	22344 (798@28)	64255 (798@80.52)	41911
2.मनरेगा	03 / 13.05. 2024 / 17	मै परषोतम सिंह खुबाडा नूरपुर	Shuttering(Unit not mentioned in Bill)	4928 (176@28)	14172 (176@80.52)	9244
					कुल	51155

इस वितीय अनियमितता के दृष्टिगत किये गए भुगतान को उपरोक्त नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0का / 2025 / 417(5) दिनांक:– 04.07.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव को सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–151 दिनांक:–04.07.2025 द्वारा आंकड़ो व तथ्यो की पुष्टि करने

उपरांत स्पष्ट किया गया कि, उक्त अनुदान के अंतर्गत अनुमोदित/न्यूनतम निविदा द्वारा उपरोक्त सामग्री क्रय न करके, अधिक दर द्वारा करने से उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस वित्तीय अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण व नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा इस अनियमितता को समर्थित अभिलेखो सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति न हो सुनिश्चित कर कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.5 नरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के लिये मजदूरी भुगतान करने हेतु गलत गणना द्वारा मूल्यांकित राशि से ₹1143/—का अधिक भुगतान करनाः—

वाउचर संख्या निल दिनांक 03,20.05.2024 के नमूना अंकेक्षण के दौरान ,निर्माण सुरक्षा दीवार देवी चन्द बन्टू इत्यादि खुबाडा वार्ड 2 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 42195 के पृष्ठ संख्या 46 व 47 में करवाये गये निर्माण कार्य के लिये, मजदूरी भुगतान करने हेतु, गलत गणना द्वारा वास्तविक मूल्याकिंत राशि से निम्नविवरणानुसार ₹1143/— का अधिक भुगतान किया गया था:—

वास्तविक मूल्यांकित मात्रा/राशि (₹)	माप पुस्तिका में दर्शाई गई मात्रा/राशि (₹)	मस्ट्रोल संख्या/भुगतान की गई राशि(₹)	अंतर/ अधिक भुगतान की गई राशि(₹)
1.Providing Formwork steel plates 15mm thick P/L1:5:10 1x17.70x.60=10.62 1x17.70x.55x.120=11.68 Total = 22.3@432=9633.6 2.Providing Formwork steel 2x17.70x.1.20=42.48 42.48@11.20=475.77 3.Carriage of material by M/L 62.13@111.76=6943.64 4.Back fillin b/R/Wall 20.71m3@67.20=1391.71 **G.Total =18444.72**	1.Providing Formwork steel plates 15mm thick P/L1:5:10 1x17.70x.60=13.27 1x17.70x.55x.120=11.68 Total =24.95@432=10778 2.Providing Formwork steel 2x17.70x.1.20=42.48 42.48@11.20=475.77 3.Carriage of material by M/L 62.13@111.76=6943.64 4.Back fillin b/R/Wall 20.71m3@67.20=1391.71 **G.Total = 19589**	229/19588	1143.28 or 1143

इस अनियमितता के दृष्टिगत किये गए भुगतान को नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(8) दिनांकः–04.07.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव को सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि मजदूरी भुगतान करने हेतु मूल्याकिंत राशि से अधिक भुगतान किया गया, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस वितीय अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(1)(सी) के अनुसार ही भुगतान करना सुनिश्चित कर कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.6 अग्रिम भुगतान राशि ₹0.01/– लाख समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फॉर्म–9 में अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करने उपरान्त किये गए अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अन्त तक समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरपोरेशन को सीमेंट के क्रय हेतु निम्न विवरणानुसार राशि ₹1135/– का अग्रिम प्रदान किया गया है, लेकिन 31.03.2025 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था व उसके समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गयाः–

क. स.	अनुदान	वाउचर/ दिनांक/बिल संख्या	आपूर्तिकर्ता	समग्री	मात्रा/ अग्रिम भुगतान (₹)	दर/ समायोजित राशि (₹)	असमा–योजित राशि (₹)
1	15वां वित	09/01.05.2024/0652879	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन जस्सुर	सीमेंट बैग	21164	20800	364
2	15वां वित	10/01.05.2024/0652879	मै0 हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन जस्सुर	सीमेंट बैग	21571	20800	771
					कुल जोड		**1135**

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(8) दिनांक:–04.07.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–151 दिनांक:– 04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि हि0प्र0 सिविल सप्लाई जस्सूर को किये गये अग्रिम भुगतान के समायोजन बारे सिविल सप्लाई से पत्राचार करने उपरान्त व समायोजन अभिलेख तैयार करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: मै0 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉरर्पोरेशन को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित कर नियमानुसार अग्रिम समायोजन रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये। पूर्वोक्त मामलो के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में की गई अग्रिम भुगतान राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसके समायोजन से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों को भी तैयार करने उपरांत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.7 पंचायत सदस्य को मस्ट्रोल तथा मीटिंग का दोहरा भुगतान करने बारे :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान का वसूली करने का जिम्मेवार होगा तथा अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्या पीसीएच(1)5/2008–11–Instractions-67441-532 दिनांक 05.11.19 के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारियों द्वारा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक में दोहरी उपस्थिति दर्ज करने सम्बन्धी दिशा–निर्देशों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है।

चयनित माह 05/2024 के मनरेगा व्यय वाउचरो के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत सदस्य को निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल तथा मीटिंग का दोहरा भुगतान किया गया था:–

क्र0सं0	पंचायत सदस्य	मीटिंग/मस्ट्रोल दिनांक जिसका भुगतान किया गया	मस्ट्रोल संख्या	वसूली योग्य राशि (₹)
1	नसीब सिंह	07.05.2024	507	750

इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(8) दिनांक:– 04.07.2025 के अंतर्गत पंचायत सचिव को सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–151 दिनांक:–04.07.2025 द्वारा आंकडो व तथ्यो की पुष्टि करने उपरांत स्पष्ट किया गया कि पंचायत सदस्य वार्ड 2

को पंचायत बैठक व मस्ट्रोल दिहाड़ी दिनांक 07.05.2025 का दोहरा भुगतान किया गया, जिसकी वसूली राशि ₹750 उचित स्त्रोत से करने उपरांत सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस वितीय अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित शीर्ष के बैंक खातें में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति न हो सुनिश्चित कर कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10 निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹16.96 लाख के अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारेः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2024 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार राशि ₹1695875/–का भुगतान किया गया था, परन्तु निम्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

अनुदान	वाउचर सं/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	वांछित अभिलेख
1.15वां वित	4,5,6/ 01.05. 2024	75,78/20.04. 2024,मस्टर रोल–निल/ 27828	रख रखाव रास्ता/नाली अमर ,प्रीतम,हुकम इत्यादि वार्ड 7	109516	माप पुस्तिका, प्रारूप 34
2.15वां वित	7/01. 05.2024	मस्टर रोल–निल/ 021661	निर्माण रास्ता प्रताप सिंह खोला ढलियाल वार्ड 6	9876	प्रस्ताव,माप पुस्तिका, प्रारूप 34
3.15वां वित	11/01. 05.2024	नरेगा अनुदान से प्राप्त सीमेंट	निर्माण बाबडी ठेहड़ वार्ड 5	17094	माप पुस्तिका, प्रारूप 34
4.15वां वित	12/01. 05.2024	नरेगा अनुदान से प्राप्त सीमेंट	मुरम्मत बाबडी ठेहड़ वार्ड 5	12617	प्रस्ताव,प्राक्कलन, माप पुस्तिका,प्रारूप 34

5.15वां वित	08 / 01. 05.2024	नरेगा अनुदान से प्राप्त सीमेंट	निर्माण सामुदायिक शौचालय पंचायत घर वार्ड 5	407	प्रस्ताव, ऑनलाईल शैल्फ ,प्राक्कलन, माप पुस्तिका,प्रारूप 34
6.15वां वित	09 / 01. 05.2024	0652879 / 11. 09.2024	निर्माण सामुदायिक शौचालय पंचायत घर वार्ड 5	21164	प्रस्ताव, ऑनलाईल शैल्फ, तकनीकी स्वीकृति,प्राक्कलन, माप पुस्तिका,प्रारूप 34
7.15वां वित	10 / 01. 05.2024	0652879 / 11. 09.2024	निर्माण शौचालय रेम्प के साथ सीएससी ठेहड़ वार्ड 4	21571	प्रस्ताव, ऑनलाईल शैल्फ,प्राक्कलन, माप पुस्तिका,प्रारूप 34
8.नरेगा	01,02 / 13.05. 2024	14,15 / 11.07. 2023	निर्माण खेल मैदान वार्ड 1	287078	प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति,प्राक्कलन, माप पुस्तिका,प्रारूप 34
9.नरेगा	03,04 / 13.05. 2024	17,18 / 11.07. 2023	निर्माण डंगा चुनी,मदन,आशोक,जोगिन्दर इत्यादि वार्ड 6	230742	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
10.नरेगा	7,8 / 27. 05.2024	213,66 / 06. 11.23,05.01. 2024	निर्माण सुरक्षा दीवार शाम सिंह,केशर, करतार,बलवीर वार्ड 5	104187	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
11.नरेगा	9,10 / 27.05. 2024	24,38 / 06.11. 23,15.10.2023	निर्माण सुरक्षा दीवार कुलदीप,नशीब,चम्मन वार्ड 5	42489	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
12.नरेगा	12,13 / 27.05. 2024	211,35 / 06. 11.23,15.10. 2023	निर्माण रास्ता / नाली अशोक मेहरा के घर से संकुतला देवी घर तक वार्ड 6	31880	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
13.नरेगा	14,15 / 13,27.	19,215 / 11. 07.23,06.11.	निर्माण जीपेवल रास्ता एस. टी बस्ती गतला वार्ड 1	67530	प्रस्ताव,प्राक्कलन,माप पुस्तिका,प्रारूप 34

	05.2024	2023			
14.नरेगा	16,17 / 13,27. 05.2024	216,23 / 11. 07.23,06.11. 2023	निर्माण जीपेवल रास्ता / नाली डनना वार्ड 3	139810	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
15.नरेगा	18,19,20 / 27.05. 2024	217,32,37 / 06 .11.2023,04.08. 23,15.10.23	निर्माण जीपेवल रास्ता / गनि कालु ,ताज इत्यादि वार्ड 1	128975	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
16.नरेगा	21,22,23 / 27.05. 2024	218,33,36 / 06 .11.2023,04.08. 23,15.10.23	निर्माण जीपेवल रास्ता परमार सिंह गतला वार्ड 1	109979	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
17.नरेगा	24,25 / 27.05. 2024	219,3 / 06.11. 2023,03.05. 2023	निर्माण जीपेवल रास्ता रण सिंह,सुभाष सिंह इत्यादि वार्ड 1	35753	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
18.नरेगा	26,27 / 13,27. 05.2024	21,220 / 11. 07.23,06.11. 2023,	निर्माण जीपेवल रास्ता / नाली पठानिया बस्ती वार्ड 7	97406	प्रस्ताव,तकनीकी स्वीकृति,प्राक्कलन,माप पुस्तिका,प्रारूप 34
19.नरेगा	28 / 13.. 05.2024	16 / 11.07.23	निर्माण जीपेवल रास्ता ओबीसी बस्ती गतला वार्ड 4	67940	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
20.नरेगा	30,31 / 13..05. 2024,27. 05.2024	22,222 / 11. 07.23,06.11.23	निर्माण जीपेवल रास्ता नरायण के घर से गोटू के घर तक वार्ड 1	116351	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
21.नरेगा	32 / 13.. 05.2024	20 / 11.07.23	निर्माण जीपेवल रास्ता गोटू के घर से क्यालू बाबा मदिंर तक वार्ड 1	43510	माप पुस्तिका,प्रारूप 34
			कुल	**1695875**	

वांछित अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत ठेहड़ से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2025 / 417**(3)** दिनांकः–04.07.2025 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–151 दिनांक 04.07.

2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि की माप–पुस्तिकाओं व अन्य अभिलेखों (प्रस्ताव प्राक्कलन इत्यादि) को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा उपरोक्त अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षाणार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. भुगतान आदेश पारित किये बिना ही ₹2.71/– लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2024 के सभा निधि, अनुदान 5वां वित, वी.के.वी.एन. वाई व 15वां वित्त के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर केवल प्रधान के हस्ताक्षर ही करवाये गए थे। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर व भुगतान आदेश पारित किये बिना ही ₹2,71,131/– का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(8) दिनांकः–04.07.2025 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत ठेहड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–151 दिनांकः–04. 07.2025 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान समय से नियमानुसार भुगतान पास करने उपरांत ही भुगतान किया जा रहा है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 मस्ट्रोल के भुगतान में पाई गई विभिन्न अनियमितताएंः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान व सम्बन्धित सचिव

द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति व नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करेगी। नियम 102(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त किये जाने अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ठेहड़ द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रोल के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उपरोक्त नियमों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा मुख्य रूप से इनमें निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईः–

1. निम्न अनुदानो के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया , जिस कारण से भुगतान की गई राशि हेतु किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

उदाहरण हेतु नमूना अंकेक्षण में सामने आये मस्ट्रोल जोकि कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे निम्न तालिका में संकलित हैः–

क्र•स•	अनुदान	वाउचर स0/ दिनांक	मस्ट्रोल क्रमांक	राशि (₹)
1	15वां वित	06/01.05.2024	निल/27828	47796
2	15वां वित	07/01.05.2024	निल/021661	9876

2.संकर्म समिति, सतर्कता समिति के सदस्यो के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षरो के स्थान पर 2–3 पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षरो को करवाया गया, जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उक्त समितियों का गठन होना व उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान किया गया है, जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

4.पंचायत सचिव द्वारा आवश्यकता के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी को अधियाचना जारी करके मस्ट्रोल प्राप्त करेगा, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई ,जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

5.उक्त मस्ट्रोल से सम्बन्धित मस्ट्रोल जारी रजिस्टर को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससें मस्ट्रोल शुरू व समाप्ति की वास्तविक तिथियों की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं हो पाई। उक्त नियमों के अभाव में किसी भी वितीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इन अनियमितताओं बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(6) दिनांकः–04.07.2025 द्वारा

अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—151 दिनांक 04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि मस्ट्रोल के भुगतान से सम्बन्धित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना करके भुगतान करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसमें अपेक्षित कार्रवाई करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

13. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा **परिशिष्ट "7,8 व 9"** के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईंः—

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.नियम 101(1)(सी) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की माप—पुस्तिका ,तकनीकी सहायक की कनिष्ठ अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता की सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई थी।

3.अनुदान 15वां वित के निर्माण सामग्री के आपूर्ति बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक व कार्य निर्माण समिति/वार्ड सदस्यों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) के अनुसार माप—पुस्तिकाओं के सम्बन्ध में कार्रवाई अमल में नही लाई गई थी।

5.नमूना अंकेक्षण में विभिन्न निर्माण कार्यो के प्ररूप—34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय—व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की स्थिति सन्देहास्पद हो जाती है।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(8) दिनांकः— 04.07.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत ठेहड़ को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—151 दिनांकः—04.

07.2025 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताओं की अंकेक्षण सुझावों व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गए निर्माण कार्यों के प्रपत्र 34 को भी तैयार करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः—राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/410**(1)** दिनांकः 28.06.2025 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—151 दिनांकः—04.07.2025 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, फलस्वरूप लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

1.हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा ''प्रारूप—5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज	11	37

	किया गया है।		
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
8	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72 (1)डी
9	निर्माण कार्यो की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
10	माप–पुस्तिका रजिस्टर	....	101(2)v
11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
12	बिजली बिल व ब्रॉडबैण्ड बिल रजिस्टर	....	....

2.हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के अंतर्गत अपेक्षित अभिलेख

क्र0सं0	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	विकास कार्यो का निष्पादन रजि0	07	34
2	अनुदान रजिस्टर	8	34

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः

समय–समय पर स्टोर/स्टाक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/410(1) दिनांकः–04.07.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–151 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

16.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत ठेहड़ द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत ठेहड़ की अंकेक्षण अवधि के चयनित मास 05/2024 के 15वां वित व मनरेगा अनुदान के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2025/417(8) दिनांकः–04.07.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–159 दिनांकः–04.07.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि, वर्तमान समय से वाउचरो पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः**— लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

6278-6282 30 SEP 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)102 / 2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ठेहड़, विकास खण्ड नूरपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

ANNEXURE -1(पैरा संख्या-"4.1(क)"

FINANCIAL POSITION OF GP THER BLOCK NURPUR DISTT. KANGRA (HP)-176211 FOR THE YEAR 2024-25

OWN SOURCES(5TH SFC/VKVNY/SDP/PS/ZP/RGSA/TSC/SBM)

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	1222564.48	1009338.00	2231902.48	1374691.00	857211.48

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	4113389.75	4155118	8268507.75	4385737	3882770.75

Note :- It is certified that the Opening Balance(Including Cash in Hand Rs =19403,Bank=1203161.48) of Sabha Nidhi as on 01.04.2024 as per Online Cashbook

सचिव
ग्राम पंचायत
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

ग्राम पंचायत ठेहड़ वि.ख. नूरपुर, जिला कांगड़ा

प्रधान

हस्ताक्षर
दिनांक

31

ANNEXURE -2(पैरा संख्या-"6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP THER BLOCK NURPUR DISTT. KANGRA(H.P)FOR THE YEAR 2024-25

1	VKVNY	2024-25	38559.00	0.00	38559.00	0.00	38559.00
2	SDP	2024-25	69000.00	0.00	69000.00	0.00	69000.00
3	SBM	2024-25	23550.00	0.00	23550.00	0.00	23550.00
4	IAY	2024-25	685450.00	0.00	685450.00	0.00	685450.00
5	IWDP	2024-25	23031.00	0.00	23031.00	0.00	23031.00
6	NRHM	2024-25	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
7	MPLADS	2024-25	211706.00	0.00	211706.00	0.00	211706.00
8	GRDY	2024-25	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00
9	13TH FC	2024-25	648160.00	0.00	648160.00	0.00	648160.00
10	14TH FC	2024-25	654464.75	16287.00	670751.75	577194.00	93557.75
11	15TH FC	2024-25	1724469.00	1194637.00	2919106.00	864349.00	2054757.00
12	MNREGA	2024-25	0.00	2944194.00	2944194.00	2944194.00	0.00
		TOTAL	**4113389.75**	**4155118.00**	**8268507.75**	**4385737.00**	**3882770.75**

Note :- It is certified that the Opening Balances of GIAs as on 01.04.2024 as per Online Scheme wise Cashbook

The opening Balance of GIA ,14TH FC has been taken including Cash in Hand amt of Rs 21047.Hence opening balance of such grant as on 01.04.24 as per online cash book 654464.75(21047+633417.75)

सचिव ग्राम पंचायत ... वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र

(32)

हस्ताक्षर

दिनांक

परिशिष्ट -03(पैरा संख्या " 4.1(ख)")

कार्यालय ग्राम पंचायत ठेहड़ विकास खंड नूरपुर जिला काँगड़ा हि.प्र.176211

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत ठेहड़ के दिनांक 01-04-2024 व 01-03-2025 को बैंक शेष:-

क्र. सं.	अनुदान	बैंक	खाता सं.	बैंक शेष 01-04-2024 को	बैंक शेष 31-03 -2025 को
1	स्वयं सत्रोत / पांचवा वित्/ वी.के.वी.एन.वाई/ एस .डी.आर.एफ/एम.पी.लेड/ RGSA/एस.डी.पी/PS/ZP	के. सी .सी. बैंक सदवा	20069021499	1353777.48	949672.46
2	टीएससी/एसबीएम	एच.डी.एफ.सी. बैंक जस्सुर	50100663793471	0	1362
3	वाटर शेड नंबर 17	एच.जी बैंक सुल्याली	87980100045990	26800	27539
4	ग्राम कोषं	एच.जी बैंक सुल्याली	87980400046978	438957	451054
5	14वां वितायोग	के. सी .सी. बैंक सदवा	50054974387	620354.14	9000.14
6	15वां वितायोग/ जिला परिषद /पचायत समिति	आई.सी.आई.सी. .आई बैंक जस्सुर	374401000219	1318796	1659777
7	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (स्व सत्रोत की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			19403	33490
8.	हस्त गत शेष दिनांक 01.04.2024 व 31.03.2025 को (14वां वितायोग की ऑनलाइन रोकड़बही के अनुसार)			21047	21047
			कुल योग	3799134.62	3152941.6

सचिव
ग्राम पचायत ठेहड़
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

(33)

परिशिष्ट -04(पैरा संख्या "7")

कार्यालय ग्राम पंचायत ठेहड़ विकास खंड नूरपुर जिला काँगड़ा हि.प्र.-176211

दिनांक **31-03-2025** को ग्राम पंचायत ठेहड़ में वसूली हेतू शेष सम्पत्ति कर/गृह कर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2024-25 में परिवारों 697 में सभी परिवारों से 50/- रूपये की दर से:-

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार की संख्या	गृह कर/प्रतिवर्ष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	62150	697	50	34850	97000	13950	83050

सचिव
ग्राम पचायत ठेहड़
वि.ख. नूरपुर जिला कांगड़ा हि.प्र.

ग्राम पंचायत ठेहड़ वि.ख. नूरपुर, जिला कांगड़ा

हस्ताक्षर..........................
दिनांक..........................

परिशिष्ट 5 (पैरा संख्या " 8")

कार्यालय ग्राम पंचायत ठेहड़ विकास खंड नूरपुर काँगड़ा हि.प्र.,प्राप्त की गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानि

क्र० सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1	मुनीश सिंह पठानिया	18.04.2024	03.05.2024	824161	200	200	0
2	गौरव शर्मा	31.07.2024	06.08.2024	824168	200	200	0
3	रविश समकड़िया	11.08.2024	28.08.2024	824175	200	200	0
4	पवन कुमार	12.07.2024	07.10.2024	824183	400	400	0
5	सुशील महरा	26.10.2024	08.11.2024	824185	200	200	0
6	नीरज कुमार	28.10.2024	12.11.2024	824188	200	200	0
7	रोहित सिंह	21.10.2024	13.11.2024	824189	200	200	0
8	अभिषेक पठानिया	08.11.2024	21.11.2024	824190	200	200	0
9	अजहरू दीन	21.11.2024	18.12.2024	824195	200	200	0
10	दविंदर सिंह	14.02.2025	03.03.2025	824301	200	200	0
				कुल	**2200**	**2200**	**0**

नोटः- क्रम संख्या 4 की राशी को बैंक/सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया

35

हस्ताक्षर.........................

दिनांक.........................

CB876-00001-EN

परिशिष्ट -6 (पैरा संख्या "42")

कार्यालय ग्राम पंचायत ठेहड़ विकास खंड नूरपुर जिला काँगड़ा हि.प्र.176211

1.दिनांक 01-04-2024 को प्रस्तुत स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़बहियों के (नकद व बैंक)अथशेष निम्न थे :-

क्र०	मद/अनुदान	दिनांक 01.04.2024 को प्रस्तुत की गई स्कीम वाइज़ ऑनलाइन रोकड़वहियों अनुसार(नकद व बैंक)अथशेष		
		नकद	बैंक	
1	Own Source	19403	1203161.48	
2	VKVNY	0	38559	
3	SDP	0	69000	
4	SBM	0	23550	
5	IAY	0	685450	
6	IWDP	0	23031	
7	NRHM	0	10000	
8	MPLADS	0	211706	
9	GRDY	0	25000	
10	13TH FC	0	648160	
11	14TH FC	21047	633417.75	
12	15^{TH} FC	0	1724469	
	TOTAL	**40450**	**5295504.23**	**5335954.23**

2 दिनांक 01.04.2024 को प्रस्तुत संयुक्त/समेकित(Consolidated) ऑनलाइन रोकड़बही के (नकद व बैंक)अथशेष:-

	मद/अनुदान	नकद	बैंक	
1	Own Source/All GIAs	**40450**	**5333004.23**	**5373454.23**
			अंतर(नकद सहित)	**37500**

सचिव
ग्राम पंचायत ठेहड़
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

(38)

हस्ताक्षर.............
दिनांक.............

परिशिष्ट–7 पैरा संख्या "93"

ग्राम पंचायत ठेहड विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश, द्वारा कय निर्माण सामग्री पर जी.एस.टी/टी.डी.एस की कटौती न करने से सरकारी कोष को संभावित राजस्व हानि।

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल स०/दिनाक	सामग्री	मात्रा प्रति घन मीटर	दर	कुल राशि
1	MGNREGA	1/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	14/11-07-23	AGGRIGATE	37	1276	47212.00
					SAND	56	1111	62216.00
					SHUTTERING(SQ2F)	798	80.52	64254.96
					WATER TANK	12	1390	16680.00
					STONE	6	766	4596.00
2	MGNREGA	03/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	17/11-07-23	AGGRIGATE	83	1276	105908.00
					SHUTTERING(SQ2F)	176	80.52	14171.52
					SAND	42	1111	46662.00
3	MGNREGA	08/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	66/05-01-2024	AGGRIGATE 20MM	11	1600	17600.00
					AGGRIGATE 40MM	21	1900	39900.00
					MIXTURE(DAYS)	13	800	10400.00
					PVC PLASTIC PIPE	27.3	190	5187.00
					SAND	13	2200	28600.00
4	MGNREGA	10/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	38/15-10-2023	AGGRIGATE	8.31	1900	15789.00
					SAND	11	2200	24200.00
5	MGNREGA	13/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	35/15-10-2023	WATER TANK	2	1390	2780.00
					AGGRIGATE	14	1900	26600.00
6	MGNREGA	14/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	19/11-07-2023	AGGRIGATE 10MM	8	1281	10248.00
					AGGRIGATE 20MM	12	1276	15312.00
					MIXTURE(DAYS)	2	350	700.00
					BOULDER	14	766	10724.00
					AGGRIGATE 40MM	20	1069	21380.00
					SAND	6	1111	6666.00
7	MGNREGA	17/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	23/11-07-2023	AGGRIGATE 20MM	5	1276	6380.00
					AGGRIGATE 40MM	8	1069	8552.00
					WATER TANK	5	1390	6950.00
					4 CONVEYANCE			10000.00
					MIXTURE(DAYS)	12	350	4200.00
					EDGE BLOCK	70	216	15120.00
					SAND	32	1111	35552.00
					SOLLING	66	766	50556.00
8	MGNREGA	19/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	32/04-08-2023	AGGRIGATE 20MM	7	1276	8932.00
					AGGRIGATE 40MM	41	1069	43829.00
					MIXTURE(DAYS)	17	350	5950.00
					SAND	25	1111	27775.00
9	MGNREGA	20/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	37/15-10-2023	AGGGRIGATE	8.31	1900	15789.00
					SAND	11	2200	24200.00
10	MGNREGA	22/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	33/04-08-2023	AGGRIGATE 20MM	10	1276	12760.00
					AGGRIGATE 40MM	25	1069	26725.00
					MIXTURE(DAYS)	15	350	5250.00
					BOULDER	31	766	23746.00
					SAND	18	1111	19998.00
11	MGNREGA	23/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	36/15-10-2023	SAND	5	2200	11000.00
					BOULDER	5	1600	8000.00
12	MGNREGA	25/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	03/03-05-2023	AGGRIGATE 20MM	2	1276	2552.00
					AGGRIGATE 40MM	6	1069	6414.00
					WATER TANK	1	500	500.00
					BOULDER	18	766	13788.00
					SAND	9	1111	9999.00
13	MGNREGA	26/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	21/11-07-2023	AGGRIGATE 10MM	20	1111	22220.00
					4 CONVEYANCE			5000.00
					EDGE BLOCK	70	216	15120.00
					WATER TANK	5	1390	6950.00
					MIXTURE(DAYS)	12	350	4200.00
					AGGRIGATE 20MM	1	1281	1281.00
					SOLLING	51	766	39066.00
					AGGRIGATE 40MM	1	1069	1069.00
14	MGNREGA	28/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	16/11-07-2023	AGGRIGATE 20MM	2	1276	2552.00
					MIXTURE(DAYS)	38	350	13300.00
					STONE	23	766	17618.00
					SOLLING STONE	45	766	34470.00
15	MGNREGA	30/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	22/11-07-2023	AGGRIGATE 10MM	1	1281	1281.00
					WATER TANK	5	1390	6950.00
					MIXTURE(DAYS)	16	350	5600.00
					EDGE BLOCK	70	216	15120.00
					AGGRIGATE 20MM	6	1276	7656.00
					AGGRIGATE 40MM	16	1069	17104.00
					SOLLING	35	766	26810.00
					SAND	30	1111	33330.00
16	MGNREGA	32/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	20/11-07-2023	AGGRIGATE	2	1276	2552.00
					EDGE BLOCK	70	216	15120.00
					WATER TANK	5	1390	6950.00
					SAND	8	1111	8888.00
17	15TH FC	04/01/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	75/20.04.2024	BOULDER	12	1600	19200.00
					MIXTURE(DAYS)	10	800	8000.00

37

सचिव
ग्राम पंचायत
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प.

					SAND	5	2200	11000.00
18	15TH FC	05/01/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	78/20.04.2024	AGGRIGATE	11.579	1900	22000.10
					CEMENT CARRIAGE	40	38	1520.00
19	MGNREGA	02/13.05.2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	15/11.07.2023	EXTRA COST OF MATERAIAL CONVERGENCE			92819.00
20	MGNREGA	04/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	18/11-07-2023	WATER TANK	15	1390	20850.00
					MIXTURE(DAYS)	65	350	22750.00
						GRAND TOTAL		1510649.58

Note- 1. All figures are taken up to two decimal.

2. All amounts are taken including GST

सचिव
ग्राम पंचायत
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प.

परिशिष्ट – 8 (पैरा संख्या – '9.2')

कार्यालय ग्राम पंचायत ठेहड़ विकास खण्ड नूरपुर ,जिला कांगड़ा द्वारा हि0प्र0 –176211 द्वारा क्रय खनन निर्माण सामग्री

क0 सं0	अनुदान	वाचर सं0 /दिनांक	फर्म का नाम	बिल स०/दिनाक	सामग्री	मात्रा प्रति घन मीटर	दर	कुल राशि
1	MGNREGA	1/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	14/11-07-23	AGGRIGATE	37	1276	47212
					SAND	56	1111	62216
					STONE	6	766	4596
2	MGNREGA	03/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	17/11-07-23	AGGRIGATE	83	1276	105908
					SAND	42	1111	46662
3	MGNREGA	08/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	66/05-01-2024	AGGRIGATE 20MM	11	1600	17600
					AGGRIGATE 40MM	21	1900	39900
					SAND	13	2200	28600
4	MGNREGA	10/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	38/15-10-2023	AGGRIGATE	8.31	1900	15789
					SAND	11	2200	24200
5	MGNREGA	13/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH	35/15-10-2023	AGGRIGATE	14	1900	26600
6	MGNREGA	14/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	19/11-07-2023	AGGRIGATE 10MM	8	1281	10248
					AGGRIGATE 20MM	12	1276	15312
					AGGRIGATE 40MM	20	1069	21380
					SAND	6	1111	6666
7	MGNREGA	17/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	23/11-07-2023	AGGRIGATE 20MM	5	1276	6380
					AGGRIGATE 40MM	8	1069	8552
					SAND	32	1111	35552
					SOLLING	66	766	50556
8	MGNREGA	19/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	32/04-08-2023	AGGRIGATE 20MM	7	1276	8932
					AGGRIGATE 40MM	41	1069	43829
					SAND	25	1111	27775
9	MGNREGA	20/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	37/15-10-2023	AGGGRIGATE	8.31	1900	15789
					SAND	11	2200	24200
10	MGNREGA	22/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	33/04-08-2023	AGGRIGATE 20MM	10	1276	12760
					AGGRIGATE 40MM	25	1069	26725
					BOULDER	31	766	23746
					SAND	18	1111	19998
11	MGNREGA	23/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	36/15-10-2023	SAND	5	2200	11000
					BOULDER	5	1600	8000
12	MGNREGA	25/27/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	03/03-05-2023	AGGRIGATE 20MM	2	1276	2552
					AGGRIGATE 40MM	6	1069	6414
					BOULDER	18	766	13788
					SAND	9	1111	9999
13	MGNREGA	26/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	21/11-07-2023	AGGRIGATE 10MM	20	1111	22220
					AGGRIGATE 20MM	1	1281	1281
					SOLLING	51	766	39066
					AGGRIGATE 40MM	1	1069	1069
14	MGNREGA	28/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	16/11-07-2023	AGGRIGATE 20MM	2	1276	2552
					STONE	23	766	17618
					SOLLING STONE	45	766	34470
15	MGNREGA	30/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	22/11-07-2023	AGGRIGATE 10MM	1	1281	1281
					AGGRIGATE 20MM	6	1276	7656
					AGGRIGATE 40MM	16	1069	17104
					SOLLING	35	766	26810
					SAND	30	1111	33330
16	MGNREGA	32/13/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	20/11-07-2023	AGGRIGATE	2	1276	2552
					SAND	8	1111	8888
17	15TH FC	04/01/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	75/20.04.2024	BOULDER	12	1600	19200
					SAND	5	2200	11000
18	15TH FC	05/01/05/2024	PARSHOTAM SINGH KHUWARA	78/20.04.2024	AGGRIGATE	11.579	1900	22000
						GRAND TOTAL		1097533

नोटः–1.उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा X औरW फॉर्म प्राप्त किए बिना ही कय की गई।

Gurbinder Singh GRS

(39)

Sahayak ... Nurpur (Kangra)

सचिव ग्राम पंचायत वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र.

परिशिष्ट–9 पैरा संख्या "9.1"

ग्राम पंचायत ठेहड विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1. NREGA	08/27.05. 2024	PVC PLASTIC PIPE	66/05.01. 2024	M/S PARSHOTAM SINGH KHUBARA	27.3	190	5187	Quatations
2. NREGA	17/13.05. 2024	EDGE BLOCK	23/11.07. 2023	M/S PARSHOTAM SINGH KHUBARA	70	216	15120	Quatations
3. NREGA	26/13.05. 2024	EDGE BLOCK	21/11.07. 2023	M/S PARSHOTAM SINGH KHUBARA	70	216	15120	Quatations
4. NREGA	30/13.05. 2024	EDGE BLOCK	22/11.07. 2023	M/S PARSHOTAM SINGH KHUBARA	70	216	15120	Quatations
5. NREGA	32/13.05. 2024	EDGE BLOCK	20/11.07. 2023	M/S PARSHOTAM SINGH KHUBARA	70	216	15120	Quatations
						G/Total	65667.00	

सचिव
ग्राम पंचायत ठेहड
वि.ख. नूरपुर कांगड़ा हि.प्र

90